:: कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ0ग0) ::
जिला न्यायालय परिसर, न्याय सदन भवन, जगदलपुर
दूरभाष क्रमांक – 07782–231250 E-Mail - dlsa.bastar@gmail.com

// आदेश //

क्रमांक –36 / जि.वि.से.प्रा.(LADCS) / 2025, जगदलपुर, दिनांक– 30 मई, 2025

इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम हेतु डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की संविदात्मक नियुक्त (Contractual Engagement) छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1402/LADCS-23-05/2024, बिलासपुर दिनांक 19 / 05 / 2025 के माध्यम से नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 की कंडिका–4 के प्रावधानानुसार निर्धारित शर्तो एवं उपरोक्त संदर्भित पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार की गई है :–

क0	पदनाम	चयनित कौंसिल का नाम
1	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल	1– श्री रमेश कुमार राजपूत पिता स्व0पंचेलाल राजपूत 2– श्री बिरेन्द्र कुमार बहोते पिता स्व0बी0एल0बहोते
2	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल	1– श्री अखिलेश्वर दास पिता स्व0लोकेश्वर दास 2– श्री अतुल कुमार दास पिता श्री श्रीनिवास दास 3– श्री कौस्तुभ ठाकुर पिता श्री प्रसुन कुमार ठाकुर 4– कु0साक्षी रामटेके पिता श्री चंपाला रामटेके

उक्त चयनित डिप्टी लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिलों को पूर्व में निर्धारित मानदेय प्रतिमाह निम्नानुसार प्रदाय होगा :–

क0	पदनाम	निर्धारित मानदेय
1	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल	Rs. 50,000/- each
2	असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल	Rs. 30,000/- each

निर्धारित शर्ते :–

1– डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल की संविदात्मक नियुक्ति माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 15.05.2025 से 14.05.2026 तक की अवधि के लिए 01 (एक) वर्ष के लिये होगी ।

--2--

2– नियुक्त कौंसिलों के द्वारा नालसा के पत्र कमांक एल/20/2019–नालसा दिनांक 24 अगस्त 2022 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों एवं नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 में दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा तथा उसी के अनुसार नियुक्त कौंसिल की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी ।

3– चयनित कौंसिलं को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा ।

4– नियुक्त कौंसिलों को नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन या सुविधाओं का अधिकार नहीं होगा ।

अन्य शर्ते कार्य, सेवा समाप्ति, कोड ऑफ एथिक्स, अवकाश एवं अन्य शर्ते माननीय नालसा के पत्र कमांक LADCS/2022 दिनांक 24 अगस्त 2022 एवं नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के अनुसार रहेगी ।

माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित ।

30.5.25

(गोविंद ~~नारायण~~ जांगडे)
प्रधान जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जगदलपुर

पृष्ठां0क्रमांक –305/जि.वि.से.प्रा.(LADCS)/2025, जगदलपुर, दिनांक–30 मई, 2025

प्रतिलिपि :–

1/ श्री रमेश कुमार राजपूत, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल, जगदलपुर,
2/ श्री बिरेन्द्र कुमार बहोते, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल, जगदलपुर,
3/ श्री अखिलेश्वर दास, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल, जगदलपुर,
4/ श्री अतुल कुमार दास, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल, जगदलपुर
5/ श्री कौस्तुभ ठाकुर, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल, जगदलपुर
6/ कु0साक्षी रामटेके, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कौंसिल, जगदलपुर
7/ कार्यालय लिपिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

व्यव0न्याया0वरि0श्रे0/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जगदलपुर